न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 40/2017, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

उनवान

1. श्रवण पुत्र जैसा
2. पूनीराम पुत्र जैसा
3. सोनी पुत्र जैसा

समस्त जाति मीना निवासी श्यामपुरा कलां तहसील लालसोट जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. घनश्याम पुत्र गौतम मीना निवासी श्यामपुरा कलां तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. ग्राम पंचायत श्यामपुरा कलां तहसील लालसोट जिला दौसा।
3. श्री रेवडमल खटीक तहसीलदार लालसोट।

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र ट्रांसफर पत्रावली बाबत नामान्तरकरण सं0 256 वाके ग्राम रामल का बांस तहसील लालसोट)

उपस्थिति : श्री राजकुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण।
: श्री मुकुट बिहारी शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं0 1

:– निर्णय :– दिनांकः 04.10.2017

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट के समक्ष नामान्तरकरण सं0 256 वाके ग्राम रामल का बास से सम्बन्धित पत्रावली विचाराधीन है। जिसमे तहसीलदार लालसोट विधि विरूद्ध तरीके से भूमि का नामान्तरकरण अप्रार्थी सं0 1 के नाम खोलकर तस्दीक करने पर आमादा हो रहे है तथा इस सम्बन्ध में प्रार्थीयान को कोई सुनवाई सबूत साक्ष्य आदि का अवसर नही दे रहे है। अतः नामान्तरकरण सं0 256 की पत्रावली को तहसीलदार लालसोट से किसी अन्य सक्षम अधिकारी व तहसीलदार को स्थानान्तरित करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट के निर्णय दिनांक 12.6.17 के अनुसार ग्राम रामल का बास के नामान्तरकरण सं0 256 पर पारित आदेश दिनांक 20.12.2016 निरस्त किया जाकर पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया है। उपखण्ड अधिकारी लालसोट के उक्त निर्णय के विरूद्ध संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर के न्यायालय में अपील पेश की हुई है। जो विचाराधीन है किन्तु तहसीलदार लालसोट द्वारा नामान्तरकरण अप्रार्थी सं0 1 के हक में खोलने हेतु आमादा है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार लालसोट ने प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि का नामान्तरकरण विधि विरूद्ध

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

तरीके से अप्रार्थी सं0 1 के हक में खोल दिया व तस्दीक कर दिया तो प्रार्थीगण के अधिकारों को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः उक्त नामान्तरकरण सं0 256 से सम्बन्धित पत्रावली अन्य सक्षम अधिकारी तहसीलदार को स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने तर्क दिया कि तहसीलदार लालसोट द्वारा उपखण्ड अधिकारी लालसोट के निर्णय दिनांक 12.6.2017 की पालना में नामान्तरकरण से सम्बन्धित कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी लालसोट के उक्त निर्णय के विरूद्ध संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील में यदि स्थगन आदेश पारित किया गया हो तो प्रति प्रस्तुत करनी चाहिये थी। उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड किये जाने पर अन्य तहसीलदार को पत्रावली स्थानान्तरित किया जाना उचित नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। जिससे यह स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी लालसोट के निर्णय दिनांक 12.06.2017 द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किये जाने पर तहसीलदार लालसोट द्वारा उक्त निर्णय की पालना में कार्यवाही की गई है। प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी के उक्त निर्णय पर सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश की प्रति भी प्रस्तुत नही की गई है। अतः प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली को अन्य सक्षम अधिकारी तहसीलदार को स्थानान्तरित किया जाना हम उचित नही समझते है।

अतः नामान्तरकरण सं0 256 वाके ग्राम रामल का बांस तहसील लालसोट जिला दौसा से सम्बन्धित पत्रावली को अन्य तहसीलदार को स्थानान्तरित करने बाबत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार लालसोट को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

निर्णय आज दिनांक 04.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

अति0 जिला कलक्टर
दौसा